



-प्रेस नोट-

दिनांक 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा डकैती डालकर ट्रांसफार्मर से ताँबे का तार चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 92.170 कि0ग्रा0 ताँबा व 8650/- रुपये नकद बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2024 को वादी शाहनवाज पुत्र हफीज नि0 ग्राम फरखपुर नवादा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मां शाकुम्भरी राईस मिल ग्राम रोगला हथौली में चौकीदार को कमरे में बन्द कर ट्रांसफार्मर को तोड़कर ताँबे को निकाल लेने तथा कैमरे तोड़कर फोन चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 341/24 धारा- 305(ए) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त **असलम पुत्र सद्दीक नि0 ग्राम लंढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को साई धाम मन्दिर थाना कोतवाली देहात के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर कबाडी चोरी का सामान खरीदने वाले अभियुक्त **सनी पुत्र वेदप्रकाश नि0 म0नं0- 32 मुकेश चौधरी वाली गली अहमदबाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 90.180 किलो ताँबा (कॉपर) व 8650/- रुपये नगद बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 305(ए) बीएनएस का विलोप करते हुए धारा 310(2)/317(3) बीएनएस व 136 विधुत अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्त असलम द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने डकैती / चोरी करने के लिये एक गैंग बना रखा है। मैं दिन में तेजाब आदि सफाई का सामान बेचने के बहाने स्थान की रैकी (तलाश) करता हूँ और चोरी/डकैती के लिए योजना बनाकर रात्रि में चोरी कर लेते हैं दिनांक 25.10.2024 की रात्रि में रोगला हथौली के जंगलों में स्थित एक राईस मिल की रैकी कर मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री में बिजली के तारों को काटकर खेतों के रास्ते से अन्दर जाकर चौकीदार को कमरे में बन्द कर दिया था, तथा फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों को उखाड़कर तथा ट्रांसफार्मर को तोड़कर उसके ताँबे को निकालकर अपने साथियों के द्वारा लायी गयी गाडी से ले गये थे तथा सामान को सनी कबाडी को बेच दिया था। अभियुक्त असलम ने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के नाम भी बताये हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. असलम पुत्र सद्दीक नि0 ग्राम लंढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

2. सनी पुत्र वेदप्रकाश नि० म०नं०- 32 मुकेश चौधरी वाली गली अहमदबाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 92.170 कि०ग्रा० ताँबा
- 8650/- रुपये नकद

**गिरफ्तार अभियुक्त असलम का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 143/17 धारा- 395/412 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं०- 169/17 धारा- 395/412 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०सं०- 113/17 धारा- 395/397/412 भादवि थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०सं०- 213/17 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. मु०अ०सं०- 38/20 धारा- 307 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. मु०अ०सं०- 39/20 धारा- 15 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त सनी का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 428/05 धारा- 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं०- 437/05 धारा- 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री राजेन्द्र राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० श्री अभिषेक चौरसिया थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. है०का० 586 राजीव थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. है०का० 521 सुनील राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का० 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का० 1325 प्रदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगाँव पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस व 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.12.2024 को वादी मामूद्दीन पुत्र इशतयाक निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के छोटे भाई सत्तार की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को बडगाँव पुलिस टीम द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त **दानिश पुत्र मृतक सत्तार निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना ग्राम नूनाबडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपने ताऊ के लडको **2- अरमान पुत्र मामूद्दीन 3- बिलाल पुत्र शहजाद निवासीगण ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को हत्या की घटना में शामिल होना बताया। वाँछित दोनो अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर बेलडा कट से मय आलाकत्ल एक तमन्चा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक तमन्चा 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस मय एक खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से गिरफ्तारी एव माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त दानिश ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे पिता का (मृतक सत्तार) गाँव की ही एक महिला के साथ अवैध सम्बन्ध चल रहे थे जिसके चलते सत्तार अपने परिवार वालो अपनी पत्नी व बेटे दानिश को मारता पीटता था और उन्हे जान से मारने की धमकी देता रहता था। कई बार मृतक सत्तार की पत्नी व बेटे द्वारा अपने पिता सत्तार को समझाने की कोशिश की पर सत्तार नहीं माना। तो अभियुक्त दानिश ने अपने ताऊ के लडको अरमान व बिलाल के साथ मिलकर अपने पिता सत्तार को जान से मारने की योजना बनायी जिसके तहत दिनांक 14.12.2024 को रात के करीब 01.00 बजे दानिश, अरमान व बिलाल ने मिलकर नाजायज तमंचो से कई गोलिया चलाकर सत्तार की हत्या कर दी। इस घटना को अन्जाम देकर दानिश वापस अपने कमरे मे चला गया तथा वो दोनो भी छिपते छुपाते अपने घर चले गये।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-**

- 1- दानिश पुत्र सत्तार निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- अरमान पुत्र मामूद्दीन निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 3- बिलाल पुत्र शहजाद निवासीगण ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-**

- 1- थानाध्यक्ष विनय शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 4- उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 5- उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 6- हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 7- हे0कां0 308 दानवीर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
- 8- कां0 2545 सोनू कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे व निशानदेही पर चोरी के आभूषण, अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त 01 मो0**

**साइकिल बरामद**

**बरामदगी का विवरण:-**

- 02 जोड़ी झुमकी (पीली धातु)
- 01 जोड़ी कान के टोप्स (पीली धातु)
- 01 जोड़ी झुमकी सफेद व (पीली धातु मय रुद्राक्ष)
- 01 गले का हार (पीली धातु)
- 01 माथे का टीका (पीली धातु)
- 02 लॉग नाक की (पीली धातु)
- 01 बाली नाक की (पीली धातु)
- 01 कंबल
- 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटर साइकिल

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2024 को वादी श्री रिहाना जैदी पत्नि सहनवाज हुसैन निवासी रक्खा कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान में घुसकर एक लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 730/24 धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 01 शातिर चोर/अभियुक्त चाँद उर्फ चंदु पुत्र युसुफ निवासी किदवई नगर 40 फुटा रोड खालापार थाना खालापार जिला मुजफ्फरनगर को मुखबिर की सूचना पर भट्टा कालोनी कट पर चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे व निशानदेही से पीली व सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा.315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 735/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),318(4)336(2)BNS

बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं कम पढा लिखा हूँ तथा अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करता हूँ मैं पहले भी कई बार चोरी कर चुका हूँ। चोरी के माल को बेचकर मैं नये-नये मोबाईल ,नये कपडे तथा शराब पीना आदि शौक को पूरा करता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

चाँद उर्फ चंदु पुत्र युसुफ निवासी किदवई नगर 40 फुटा रोड खालापार थाना खालापार जिला मुजफ्फरनगर

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 01 पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे मे 02 जोडी झुमकी पीली धातु की 01 जोडी टोकस कान पीली धातु, 01 जोडी झुमकी सफेद व पीली धातु मय रुद्राक्ष, 01 गले का हार पीली धातु, 01 माथे का टीका पीली धातु, 02 लोंग नाक की पीली धातु, 01 बाली नाक की पीली धातु व पुलिन्दे में 01 कंबल, पुलिन्दे में 01 गैंती लोहा व 01 पेचकसनुमा लोहा सम्बन्धित मु0अ0सं0 730/24 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार व मु0अ0स0 729/24 धारा 331(4)/305(ए) वृद्धि धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. एक पुलिन्दे में 02 जीन्स नील रंग 01 जर्सी सफेद रंग, एक पुलिन्दे में 4 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड , 01 पुलिन्दे में मोटरसाइकिल मे प्रयुक्त 01 फर्जी नम्बर प्लेट संबधित मु0अ0स0 729/24 धारा 331(4)/305(ए) वृद्धि धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस न0 UP 12BT 8927 चोरी की संबधित मु0अ0स0 786/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना पटेल नगर जनपद देहरादून
4. 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 735/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

**अभियुक्त चाँद उर्फ चंदु पुत्र युसुफ का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 730/24 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार
2. मु0अ0स0 729/24 धारा 331(4)/305(ए) वृद्धि धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 786/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना पटेल नगर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड
4. मु0अ0स0 111/23 धारा 380.411.414.454 भादवि थाना कोतवाली नगर
5. मु0अ0स0 239/23 धारा 380.454.506 भादवि थाना सदर बाजार
6. मु0अ0स0 666/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डी जिला मुजफ्फरनगर
7. मु0अ0स0 166/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मण्डी जिला मुजफ्फरनगर
8. मु0अ0स0 367/21 धारा 498ए.323.504.506 भादवि व ¾ देहज अधि0 थाना मण्डी जिला मुजफ्फरनगर
9. मु0अ0स0 2426/09 धारा 110जी सी0आर0पी0सी0 थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर

10.मु0अ0स0 1547/15 धारा 302.504 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर

11.मु0अ0स0 246/23 थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. है0का0 327 मेहरबान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. का0 1837 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. का0 2479 शिशुपाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. का0 184 राजन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. का0 2292 ब्रजेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध हुक्के पोर्ट सहित , हुक्के के 05 पाइप , 06 चिलम, 03 चिमटे, कोयला व तम्बाकू (फलेवर वाला) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **सुहैल पुत्र शहनवाज निवासी छत्ता जम्बूदास निकट चण्डीगढ पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को बाईट मी बिस्ट्रो कैफे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 03 हुक्के पोर्ट सहित, हुक्के के पाँच पाइप, 06 चिलम, 03 चिमटे, कोयला व तम्बाकू फलेवर वाला बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 472/24 धारा 270/271/280 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुहैल पुत्र शहनवाज निवासी छत्ता जम्बूदास निकट चण्डीगढ पैलेस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण –

- 03 हुक्के पोर्ट सहित
- हुक्के के पाँच पाइप ,
- 06 चिलम
- 03 चिमटे
- कोयला
- तम्बाकू (फलेवर वाला)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0 का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 497 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को चैकिंग के दौरान **अभियुक्त नदीम पुत्र नाजिम नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ईदगाह मिर्जापुर के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 497 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 203/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं उत्तराखण्ड से चरस/स्मैक खरीदकर रास्ते पर ट्रक चालकों नशे के आदी लोगों को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नदीम पुत्र नाजिम नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 292/16 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कुरता एक्य व 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 314/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 62/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 06/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 14/23 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण –**

➤ 497 ग्राम अवैध चरस

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2216 विरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल(स्पेलंडर प्लस) बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2024 को वादी श्री पोपिन पुत्र नाथीराम ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर-साइकिल स्पेलैण्डर प्लस को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 478/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र ब्रहम सिंह गुर्जर वर्ष निवासी ग्राम बिजनाखेडी थाना नकुड़ सहारनपुर को इस्लामनगर रोड शेरपुर नहर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटर-साइकिल पंजीकरण सं0-UP11CB2703 स्पेलैण्डर प्लस बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सौरभ कुमार पुत्र ब्रहम सिंह गुर्जर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बिजनाखेडी थाना नकुड़ स0पुर

#### **बरामदगी का विवरण:-**

01 मोटर-साइकिल पंजीकरण सं0- UP11CB2703 स्पेलैण्डर प्लस,रंग काला।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. उप नि0 श्री मायाराम थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
3. का0 1617 योगेश कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर



दिनांक: 17.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 वारंटी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वार 01 वारण्टी **अभियुक्त नदीम पुत्र शकील निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 4992/24 अ0सं0 342/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम चालानी थाना को0नगर सहारनपुर,(मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 तृतीय जनपद सहारनपुर) मे एकता कालौनी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

नदीम पुत्र शकील निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1823 श्रवण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 17.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने 01 नशा तस्कर (हिस्ट्रीशीटर) अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16/12/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली गंगोह पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त नदीम उर्फ डेढ फुटा उर्फ सांप पुत्र नसीम नि0 मौहल्ला सराय नई टंकी के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को लखनौती गंगोह से नकुड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 12 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 540/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं नशे का आदी हूँ व अपने शौक को पूरा करने के लिये स्मैक को बेचने का काम करता हूँ। स्मैक बेचकर जो पैसे कमाता हूँ, उसे मैं घूमने फिरने व अपनी मौज मस्ती पर खर्च कर देता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

नदीम उर्फ डेढ फुटा उर्फ सांप पुत्र नसीम नि0 मौ0 सराय नई टिकी के पास कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 12 ग्राम नाजायज स्मैक

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1. मु0अ0सं0 129/17 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 147/16 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 181/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 246/23 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 248/23 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 280/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 353/20 धारा 392/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 357/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 580/15 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 27/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 28/24 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 312/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना नानौता जिला सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 501/13 धारा 379/13 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर/अभियुक्त व चोरी का सामान खरीदने वाले 01 अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.2024 को वादी हाजी नदीम पुत्र नासिर अहमद निवासी मोहल्ला कुरैशियान थाना गंगोह सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गण 1. आसिफ पुत्र अफजाल 2. कासिम पुत्र रहीस 3. सालिम उर्फ साका पुत्र जमील निवासी मौ0 गुलाम औलिया थाना गंगोह सहारनपुर के द्वारा वादी की बन्द फैक्टरी से 01 इनबेटर बैट्रा व मोटर, स्टार्टर, केवल तार व एलसीडी चोरी किये जाने की सूचना पर थाना गंगोह पर पर मु0अ0सं0 539/24 धारा 305(ए) बी.एन.एस पंजीकृत किय गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं का रोकथाम तथा शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना में शामिल अभियुक्त गण 1. आसिफ पुत्र अफजाल 2. कासिम पुत्र रहीस 3. सालिम उर्फ साका पुत्र जमील निवासी गण मौ0 गुलाम औलिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व चोरी का सामान खरीदने वाला अभियुक्त 4. अलताफ पुत्र महबूब नि0 मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को कस्बा गंगोह में चौना चौक से हमजागढ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि, हम तीनों लोग नशे के आदि हैं तथा अपनी नशों की जरूरतों को पूरा करने के लिये चोरी करते हैं, और चोरी किये सामान को आने जाने वाले अनजान लोगों को बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। आज सुबह के समय जब हम तीनों रोड पर बन्द पडी फैक्टरी में चोरी कर रहे थे तब वहां चौकीदार के शोर मचाने पर हम वहां से भागने लगे भागते समय फिसल कर गिरने से आसिफ का हाथ टूट गया था जिसका हमने प्लास्टर करा लिया था। चोरी का कुछ सामान हमने बेच दिया था तथा जिसके पैसे हमने आपस में बांट लिये थे जो खर्च हो गये, तथा बचा हुआ सामान को बेचने के लिए हमने अलताफ को चौना चौक के पास बुलाकर मोटर व स्टार्टर बेच दिये थे। जो सामान हम लोगों से मिला है यह उसी चोरी का बचा हुआ सामान है जो नकद रू0 सालिम से मिले है, यह हमने स्टार्टर और मोटर बेचकर अलताफ से लिये है। अभियुक्त अलताफ ने पूछताछ में बताया कि मैं लालच में आ गया था। ये लोग नशे के आदि हैं इसी बात का फायदा उठाकर मैंने इनसे सस्ते दामों पर चोरी का सामान खरीदा था।

### गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

1. आसिफ पुत्र अफजाल नि0 मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. कासिम पुत्र रहीस नि0 मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. सालिम पुत्र जमील नि0 मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. अलताफ पुत्र महबूब नि0 मौ0 गुलाम औलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण**

- 01 केबल 6mm 12 मी0
- 01 केबल 4mm 10 मी0
- 01 केबल 10mm 08 मी0
- 01 अदद केबल 50mm 05 मी0
- 01 बिजली की मोटर 1HP
- 01 अदद जनरेटर की कौमन रैल
- 01 मोटर स्टार्टर नैशनल कम्पनी
- 02 अदद केबल स्पलाई एंगल
- 04 कि00ग्रा0 जला हुआ एल्युमिनियम तार
- 600/- रु0 नकद

### **अभियुक्त आसिफ का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 173/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 159/21 धारा 379/411 भादवि थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 161/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना तीतरो जिला सहारनपुर

### **अभियुक्त सालिम का आपराधिक इतिहास**

- मु0अ0सं0 28/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री डैनी कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. है0का0 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 404 मनीष थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. का0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त इमरान पुत्र मौ0 महताब नि0 म0न0 878 मंसूर कालोनी 2 इन्दिरा चौक थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं0 3609/23 धारा 138 एनआई एक्ट, चालानी थाना को0नगर सहारनपुर नियत दिनांक 19/12/2024 (मा0 न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय, सहारनपुर ) में वारण्टी अभियुक्त को म0न0- 878 मंसूर कालोनी 2 इन्दिरा चौक थाना मण्डी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

इमरान पुत्र मौ0 महताब नि0 म0न0 878 मंसूर कालोनी 2 इन्दिरा चौक थाना मण्डी सहारनपुर

**सहारनपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .32 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अबैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अपराधी दुष्यन्त पुत्र राजीव निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जिला सहारनपुर को चैकिंग के दौरान ग्राम ओलरा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दुष्यन्त उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा .32 बोर नाजायज बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 291/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ:-** अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ तथा यह तमंचा मैं लोगो को डराने धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ। यह तमंचा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

दुष्यन्त पुत्र राजीव निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 01 अबैध तमन्चा .32 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्रीरामचरन सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 827 रवि कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 17.12.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 02 मनचलें**  
**अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम हेतु मिशन शक्ति अभियान के क्रम में मनचलो की धरड़पक हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम एवं महिला एण्टीरोमियों टीम द्वारा दिनांक 16.12.2024 को चैकिंग के दौरान सर्राफा बाजार रामपुर मनिहारान के पास खडे होकर आने वाली महिलाओ पर अश्लील फब्तिया कसने वाले अभियुक्तगण 1.शाहबाज पुत्र मारुफ निवासी मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 2.अनस पुत्र मुर्शीद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-477/24 धारा 296 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. शाहबाज पुत्र मारुफ निवासी मौ0 पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. अनस पुत्र मुर्शीद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर